महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

विद्या-परिषद् की सातवीं बैठक

कार्यवृत्त

20 जुलाई, 2006

सुबह 10:30 बजे

सभा कक्ष संख्या, 101, पहली मंजिल,

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), नयी दिल्ली

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या-परिषद् की सातवीं बैठक

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा)

(17-बी, श्री अरविंदो मार्ग, नयी दिल्ली-16)

दिनांक : 20 जुलाई 2006 *(सुबह 10:30 बजे)*

कार्यवृत्त

मद सं.	*विवरण*
1.	विद्या-परिषद् की छठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन।
2.	विद्या-परिषद् की छठी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन हेतु विशेषज्ञता निर्धारिण।
4.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वयस्क, सतत शिक्षा और विस्तार कार्यक्रम के प्रस्ताव पर विचार।
5.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद् की सातवीं बैठक

कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की सातवीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 20 जुलाई 2006 को सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, 17-बी, श्री अरविंदो मार्ग, नयी दिल्ली-110 016 के सभा-कक्ष सं. 101 में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1)	प्रो. जी. गोपीनाथन	:	अध्यक्ष एवं कुलपति, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा।
2)	प्रो. इंद्रनाथ चौधुरी	:	सदस्य
3)	प्रो. उदय नारायण सिंह	:	सदस्य
4)	प्रो. ए. अरविंदाक्षण	:	सदस्य
5)	डा. एस. तंकमणि अम्मा	:	सदस्य
6)	प्रो. गंगा प्रसाद विमल	:	सदस्य
7)	श्री गोविंद मिश्र	:	सदस्य
8)	प्रो. टी. आर. भट्ट	:	सदस्य
9)	प्रो. नित्यानंद तिवारी	:	सदस्य
10)	प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय	:	सदस्य
11)	श्री बालकृष्ण पिल्लई	:	सदस्य
12)	डा. भास्कराचार्य त्रिपाठी	:	सदस्य
13)	श्रीमती मृदुला गर्ग	:	सदस्य
14)	प्रो. राम गोपाल बजाज	:	सदस्य
15)	प्रो. राम गोपाल गुप्ता	:	सदस्य
16)	प्रो. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी	:	सदस्य

अन्य सदस्य – श्री एस. आर. फारूकी, प्रो. इंदिरा गोस्वामी, प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी, डा. (श्रीमती) माजिदा असद, श्री मधु मंगेश कर्णिक तथा डा. रामदयाल मुण्डा अन्यत्र पूर्व प्रतिश्रुत होने के कारण बैठक में उपस्थित न हो सके।

मद सं. 1 :

विद्या-परिषद् की छठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन :

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की छठी बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 30 मई, 2006 को सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, 17 बी., श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई थी।

इस बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को यथासमय भेज दिया गया था। किसी भी सदस्य से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है, अतः विद्या-परिषद् कृपया छठी बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन करें।

विद्या-परिषद् ने कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन किया। अनुमोदित कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न है।

***अनुलग्नक** : विद्या-परिषद् की छठी बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न (पृष्ठ सं. 3 से 9)*

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद् की छठी बैठक

कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की छठी बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 30 मई 2006 को सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, 17-बी, श्री अरविंदो मार्ग, नयी दिल्ली-110 016 के सभा-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1)	प्रो. जी. गोपीनाथन	:	अध्यक्ष एवं कुलपति, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा।
2)	श्रीमती मृदुला गर्ग	:	सदस्य
3)	श्रीमती इंदिरा गोस्वामी	:	सदस्य
4)	डा. एस. तंकमणि अम्मा	:	सदस्य
5)	श्री बालकृष्ण पिल्लई	:	सदस्य
6)	श्री गोविंद मिश्र	:	सदस्य
7)	प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी	:	सदस्य
8)	प्रो. इंद्रनाथ चौधुरी	:	सदस्य
9)	प्रो. ए. अरविंदाक्षण	:	सदस्य
10)	प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय	:	सदस्य
11)	प्रो. राम गोपाल गुप्ता	:	सदस्य
12)	प्रो. राम गोपाल बजाज	:	सदस्य
13)	प्रो. टी. आर. भट्ट	:	सदस्य
14)	डा. भास्कराचार्य त्रिपाठी	:	सदस्य
15)	प्रो. नित्यानंद तिवारी	:	सदस्य
16)	प्रो. गंगा प्रसाद विमल	:	सदस्य

अन्य सदस्य – डा. (श्रीमती) माजिदा असद, डा. रामदयाल मुण्डा, श्री मधु मंगेश कर्णिक, प्रो. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, प्रो. उदय नारायण सिंह तथा श्री एस. आर. फारूकी अन्यत्र पूर्व प्रतिश्रुत होने के कारण उपस्थित न हो सके।

तदुपरांत कार्यसूची में दिये गये विषयों पर विचार-विमर्श के बाद लिए गए निर्णयों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है :

मद सं. 1. विद्या-परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन :

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की छठी बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को सुबह 11:00 बजे इण्डिया इण्टरनेशनल सेण्टर, नयी दिल्ली में सम्पन्न हुई थी।

इस बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को यथासमय भेज दिया गया था। किसी भी सदस्य से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है, अतः विद्या-परिषद् कृपया कार्यवृत्त का अनुमोदन करे।

विद्या-परिषद् ने कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन किया। अनुमोदित कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न है।

मद सं. 1. विद्या-परिषद् की चौथी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विद्या-परिषद् की चौथी बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 14 जुलाई 2005 को सुबह 11:00 बजे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नयी दिल्ली के सभा-कक्ष में सम्पन्न हुई। इस बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को यथासमय भेज दिया गया था। किसी भी सदस्य से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है, निवेदन है कि विद्या-परिषद् कार्यवृत्त का अनुमोदन करे।

विद्या-परिषद् ने कार्यवृत्त का अनुमोदन किया। अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

मद सं. 2. विद्या-परिषद् की चौथी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट :

विद्या-परिषद् ने की गई कार्रवाई का अवलोकन कर निम्न सुझावों के साथ इसके स्वीकृति प्रदान की :

मद सं.	विषय एवं निर्णय	की गई कार्रवाई
6	**भाषा-केन्द्र में शोधरत छात्रा को पी-एच.डी. उपाधि देने के संदर्भ में निर्णय** विद्या-परिषद् ने पूरे तथ्यों के आलोक में यह निर्णय लिया कि इस संदर्भ में कुलपति कुछ विशेषज्ञों की एक समिति गठित करें जो इसके वैधानिक एवं अन्य सभी पहलूओं को देखते हुए अपनी अनुशंसाएँ दे। इन अनुशंसाओं को विद्या-परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये।	*नियमानुसार कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं की रिपोर्ट एवं संबद्ध अन्य विवरण विचारार्थ प्रस्तुत है।*
सुझावः	**बैठक में प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं का अवलोकन करने के बाद विद्या-परिषद् ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस मामले में एक प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाते हुए अनुशंसाओं के साथ प्रस्तुत किया जाये।**	
7	**दूर शिक्षा के अन्तर्गत प्रस्तावित 'अनुवाद प्रौद्योगिकी' में एकवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा 'जनसंचार माध्यम' में एकवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम वर्ष 2006 से आरंभ करने का अनुमोदनः** विषय विशेषज्ञों की राय लेकर संशोधित पाठ्यक्रम अगली बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।	*संशोधित पाठ्यक्रमों के प्रारूप अनुमोदनार्थ संलग्न है।*
सुझाव :	**विद्या-परिषद् ने संशोधित पाठ्यक्रमों के प्रारूपों का अवलोकन कर यह सुझाव दिया कि पाठ्य-सामग्री तैयार होने के बाद ही ये पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएं।**	

8	**विश्वविद्यालय में चल रहे नियमित पाठ्यक्रमों – एम.ए. हिन्दी (तुलनात्मक साहित्य), एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) एवं एम.ए. (स्त्री अध्ययन) तथा कुछ नये स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को दूर शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2007 से शुरू करने का प्रस्तावः** विद्या-परिषद् ने तीसरी बैठक में दूर शिक्षा के तहत बी.ए. पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम अभी शुरू न किए जाने का निर्णय लिया। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि दूर शिक्षा के अन्तर्गत पाँच केन्द्रों–दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में 'अनुवाद प्रौद्योगिकी' एवं 'जनसंचार माध्यम' विषयों में दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम ही अभी आरंभ किए जायें। इसके साथ-साथ विश्वविद्यालय में चल रहे एम.ए. हिन्दी (तुलनात्मक साहित्य), एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) और एम.ए. (स्त्री अध्ययन) विषयों के पाठ्यक्रमों को दूर शिक्षा के अन्तर्गत भी 2007 से शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।	*कार्रवाई चल रही है। केन्द्र खोलने के संदर्भ में कुलाध्यक्ष से स्वीकृति मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।*
सुझाव :	**विद्या-परिषद् ने कार्रवाई को नोट कर यह सुझाव दिया कि पाठ्य-सामग्री तैयार कर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं और पाठ्य-सामग्री को विद्या-परिषद् के अवलोकनार्थ भी प्रस्तुत किया जाये।**	
9	**भदंत आनंद कौशल्यायन बौद्ध साहित्य अध्ययन पीठ की स्थापना का प्रस्ताव :** इस संदर्भ में पूर्ण विवरण के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	*प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।*
सुझाव :	**प्रस्ताव का अवलोकन कर विद्या-परिषद् ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए आर्थिक सहायता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संपर्क करने की अनुशंसा की।**	

मद सं. 3. भाषा-केन्द्र, लखनऊ में चल रहे पाठ्यक्रमों एम.ए. हिन्दी भाषा, साहित्य और अनुवाद तथा एम.फिल. के पाठ्यक्रमों की कार्योत्तर स्वीकृति :

भाषा-केन्द्र, लखनऊ में पिछले 3 साल से चल रहे पाठ्यक्रम विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या-परिषद् ने प्रस्तुत किए गए पाठ्यक्रमों को कार्योतर स्वीकृति प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया कि इन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वर्ष 2006 में परीक्षा लेने के बाद आगे इन विषयों में विद्यार्थियों को प्रवेश न दिया जाये।

अनुलग्नक : अनुमोदित पाठ्यक्रमों के प्रारूप संलग्न हैं।

1. *अनुवाद में उच्च स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम* *(पृष्ठ सं. 36-37)*
2. *एम.ए. हिन्दी (भाषा, साहित्य और अनुवाद)* *(पृष्ठ सं. 38-47)*
3. *एम.फिल. पाठ्यक्रम* *(पृष्ठ सं. 48-57)*

मद सं. 4. भाषा-केन्द्र तथा परिसर में चल रहे पाठ्यक्रमों के अंकपत्रों, उपाधियों तथा प्रमाण-पत्र आदि के प्रारूपों पर पुर्नविचार :

भाषा-केन्द्र में चल रहे अनुवाद में उच्च स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अंकतालिका विद्या-परिषद् द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है जिसमें मामूली संशोधन के बाद प्रस्तुत किया गया है तथा एम.ए./एम.फिल. पाठ्यक्रमों की अंकतालिका और छमाही अंक-पत्र के प्रारूप विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर श्रेणी के जो विभिन्न पाठ्यक्रम चल रहे हैं का अंतिम ग्रेड विवरण प्रमाणपत्र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट विद्या-परिषद् द्वारा दूसरी बैठक में अनुमोदित किया गया था, में कुछ मामूली संशोधन की आवश्यकता के अनुसरण में प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही एम.फिल. पाठ्यक्रम का अंतिम ग्रेड विवरण तथा एम.ए. पाठ्यक्रम का छमाही ग्रेड विवरण का प्रारूप भी अनुमोदन हेतु संलग्न है।

इसके साथ ही विद्या-परिषद् कृपया विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की मूल्यांकन पद्धति निम्न आधार पर स्वीकृति प्रदान करें :

1. *विश्वविद्यालय में भाषा-केन्द्र, लखनऊ में संचालित पाठ्यक्रमों को छोड़कर अभी तक सभी पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एम.फिल. के उपलब्ध पाठ्यक्रम जो विद्या-परिषद् द्वारा अनुमोदित हैं, में भी एम.फिल. पाठ्यक्रम 22 क्रेडिट्स का है, ऐसा उल्लिखित है। ऐसी दशा में एम.फिल. पाठ्यक्रम की मूल्यांकन पद्धति क्रेडिट के आधार पर की जाय।*
2. *भाषा-केन्द्र, लखनऊ द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन पद्धति अंकों के आधार पर की गयी है, विवरणिका में इस संदर्भ में विस्तृत विवरण उपलब्ध है। अतः वहाँ की परिस्थितियों एवं अब तक के मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए विशेष स्थिति में वहाँ संचालित पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन पद्धति अंकों के आधार पर की जाय।*

विद्या-परिषद् ने प्रस्तुत किए गए प्रारूपों का अवलोकन कर सहमति प्रदान की।

अनुलग्नक : 1 *भाषा-केन्द्र के लिए अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र के प्रारूप* *(पृष्ठ सं. 59-62)*
2 *विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे एम.ए. पाठ्यक्रम के छमाही (पृष्ठ सं. 63-66)*
तथा अंतिम ग्रेड विवरण प्रारूप तथा एम.फिल. अंकतालिका एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट के प्रारूप

मद सं. 5. विश्वविद्यालय के वर्तमान चार विद्यापीठों के अतिरिक्त दो अतिरिक्त विद्यापीठ शुरू करने पर विचार :

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार इस विश्वविद्यालय में चार विद्यापीठ होंगे—1. भाषा विद्यापीठ, 2. साहित्य विद्यापीठ, 3. अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ और 4. संस्कृति विद्यापीठ। परंतु वर्तमान स्थितियों में हिन्दी को सूचना-प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के अध्ययन से जोड़ने के लिए 2 नए विद्यापीठों को आरंभ करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के सामने रखा जाता है। ये विद्यापीठ होंगे :

1. *प्रबंधन विद्यापीठ (School of Management)*
2. *प्रौद्योगिकी विद्यापीठ (School of Technology)*

विद्या-परिषद् ने अनुमति प्रदान की।

मद सं. 6. MBA पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव :

विश्वविद्यालय के प्रस्तावित प्रबंधन विद्यापीठ के अंतर्गत M.B.A. पाठ्यक्रम (हिन्दी माध्यम से) शुरू करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या-परिषद् ने उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद सैद्धांतिक सहमति दी और यह निर्णय लिया कि एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिए पहले आवश्यक पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-सामग्री हिन्दी में तैयार कराई जाये।

मद सं. 7. विश्वविद्यालय में B.Tech. (सूचना प्रौद्योगिकी) शुरू करने पर विचार :

हिन्दी को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के प्रस्तावित प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के अंतर्गत B.Tech. (सूचना प्रौद्योगिकी) हिन्दी माध्यम से शुरू करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

यह निर्णय लिया गया कि सूचना-प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम आरंभ करने से पहले मौलिक रूप से हिन्दी में उच्च-स्तरीय पाठ्य-पुस्तक तैयार की जाये।

मद सं. 8. विश्वविद्यालय में नियमित एवं दूर शिक्षा के अंतर्गत B.Ed. और D.Ed. शुरू करने पर विचार :

हिन्दी माध्यम से भाषा, समाज विज्ञान एवं मानविकी विषयों के अध्यापन के लिए प्रशिक्षित लोगों की मांग को दृष्टि में रखकर और शिक्षा मंत्रालय के माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के सुझाव के अनुसार हिन्दी माध्यम से बी.एड. और डी.एड. नियमित व दूर शिक्षा के माध्यम से शुरू करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या-परिषद् ने प्रस्ताव स्थगित रखने का निर्णय लिया।

मद सं. 9. विश्वविद्यालय के 4 विद्यापीठों के अतिरिक्त पाँच केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव :

विश्वविद्यालय में पाँच केन्द्र (दूर शिक्षा केन्द्र, गांधी हिन्दी विश्व मैत्री केन्द्र, अनुवाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी अन्तरराष्ट्रीय शांति अध्ययन केन्द्र तथा भारतवंशी अध्ययन केन्द्र) शुरू करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या-परिषद् ने दूर-शिक्षा केन्द्र हेतु अध्यादेश के हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप का अवलोकन कर अनुमति प्रदान की तथा शेष प्रस्तुत केन्द्रों के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति देते हुए अनुवाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र को प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के अन्तर्गत रखने का निर्णय लिया। यह भी संस्तुति दी कि इन केन्द्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवश्यक पद प्राप्त किये जाएँ। केन्द्रों के अध्यादेशों के प्रारूप संलग्न हैं।

अनुलग्नक :

1. दूर शिक्षा केन्द्र हेतु अध्यादेश के हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप (पृष्ठ सं. 70-83)
2. गांधी हिन्दी विश्व मैत्री केन्द्र (पृष्ठ सं. 84-85)
3. अनुवाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (हिन्दी व अंग्रेजी प्रारूप) (पृष्ठ सं. 86-95)
4. महात्मा गांधी फ्यूजी-गुरुजी अंतरराष्ट्रीय शांति अध्ययन केंद्र (हिन्दी व अंग्रेजी प्रारूप) (पृष्ठ सं. 96-102)
5. भारतवंशी अध्ययन केन्द्र (पृष्ठ सं.103-106)

मद सं. 10. दूर शिक्षा के अंतर्गत पाँच केन्द्रों के अलावा प्रत्येक प्रांत में एक-एक अध्ययन केन्द्र बनाने का प्रस्ताव तथा दूर शिक्षा के अंतर्गत कुछ नए पाठ्यक्रम चलाए जाने की स्वीकृति :

विद्या-परिषद् ने पहले दूर शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए पाँच क्षेत्रीय केन्द्र शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया था जो अब कुलाध्यक्ष के अनुमोदनार्थ भेजा गया है। चूंकि दूर शिक्षा पाठ्यक्रम अगले सत्र में ही शुरू करना है इसलिए निवेदन है कि प्रत्येक प्रांत में एक-एक अध्ययन केन्द्र बनाने तथा दूर शिक्षा के अंतर्गत कुछ नए पाठ्यक्रम चलाए जाने की स्वीकृति दी जाए। इस बारे में गठित विशेषज्ञों की उपसमिति की रिपोर्ट संलग्न है।

अनुलग्नक : विशेषज्ञों की उपसमिति की रिपोर्ट *(पृष्ठ सं. 108-110)*

विद्या-परिषद् की चौथी बैठक के निर्णय के अनुसरण में इस बैठक में मद सं.-2 में पिछले कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई कार्रवाई के अंतर्गत दूर शिक्षा के अंतर्गत विश्वविद्यालय में एक वर्षीय स्नातकोत्तर

डिप्लोमा पाठ्यक्रम–1. "अनुवाद प्रौद्योगिकी", 2. "जनसंचार माध्यम" वर्ष 2006 से आरंभ किए जाने हेतु प्रारूप प्रस्तुत किए गए हैं। इसके साथ ही दूर शिक्षा के संबंध में गठित समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में निम्न पाठ्यक्रम भी दूर शिक्षा के अंतर्गत चलाए जाने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :

1. *विश्वभाषा हिन्दी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम – विद्या-परिषद् ने दूसरी बैठक में अन्य पाठ्यक्रम के साथ के साथ विश्वभाषा हिन्दी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम विदेशी विद्यार्थियों के लिए चलाया जाना स्वीकृत किया था। इस पाठ्यक्रम में कुछ आवश्यक संशोधन कर प्रारूप विचारार्थ प्रस्तुत है। विद्या-परिषद् कृपया इसे दूर शिक्षा के अंतर्गत चलाए जाने की स्वीकृति प्रदान करें।* ***(पृष्ठ सं.111)***
2. *विश्वभाषा हिन्दी का छह माह का नवीकरण पाठ्यक्रम – बिंदु 1 के अनुसरण में दिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत विश्वभाषा हिन्दी का छह माह का नवीकरण पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।*
   यह प्रस्ताव विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक में रखा गया था जिसमें यह निर्णय हुआ था कि उक्त पाठ्यक्रम को चलाने के लिए भारत सरकार से आवश्यक आर्थिक सहायता की अपेक्षा की जाय। अब हमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (ICCR) से इसके लिए आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। इसके मद्देनजर विद्या-परिषद् से अनुरोध है कि उक्त पाठ्यक्रम को चलाए जाने की स्वीकृति प्रदान करें – इसके लिए प्रारूप संलग्न है। ***(पृष्ठ सं. 112-114)***
3. *समर कोर्स इन हिन्दी एज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज़ – उक्त पाठ्यक्रम का प्रारूप भी विद्या-परिषद् के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।* ***(पृष्ठ सं. 115)***

विद्या-परिषद् ने प्रस्तावित अध्ययन केन्द्रों के लिए स्वीकृति प्रदान की और पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया। अनुमोदित केन्द्र तथा पाठ्यक्रम उल्लिखित पृष्ठानुसार संलग्न है।

मद सं. 11. वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्रस्तावित संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / सेमिनार के आयोजन का अनुमोदन :

विश्वविद्यालय की स्थापना के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फरवरी, 07 में एक अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसका विषय होगा 'हिन्दी विश्व मैत्री की भाषा' संगोष्ठी में जनसंचार, फ़िल्म, अनुवाद, तुलनात्मक साहित्य, स्त्री विमर्श, गांधी चिंतन, संस्कृति आदि विषय शामिल होंगे। इस संगोष्ठी के लिए करीब रु.10,00,000/- (रुपए दस लाख) का अनुमानित खर्च होगा। इस संगोष्ठी के अलावा वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्येक विद्यापीठ में निम्नलिखित विषयों पर एक-एक कार्यशाला का आयोजन होगा :

1) *तुलनात्मक साहित्य की प्रविधि एवं प्रक्रिया – साहित्य विद्यापीठ*
2) *भाषा-प्रौद्योगिकी के बुनियादी सिद्धान्त – भाषा विद्यापीठ*
3) *हिन्दी में निर्वचन पाठ्यक्रम का स्वरूप – अनुवाद विद्यापीठ*
4) *शांति अध्ययन में बौद्ध, जैन एवं गांधीवादी चिंतन की प्रासंगिकता – संस्कृति विद्यापीठ*
5) *नारीवादी साहित्य-विमर्श – संस्कृति विद्यापीठ*
6) *जनसंचार माध्यमों में हिन्दी भाषा – संस्कृति विद्यापीठ*

इन कार्यशालाओं के लिए कुल छह लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।

विद्या-परिषद् ने इसे स्वीकृति प्रदान की।

मद सं. 12. एम.ए. सांस्कृतिक पर्यटन-पाठ्यक्रम (नियमित पाठ्यक्रम) वर्ष 2007 से आरंभ करने का प्रस्ताव :

पर्यटन और हिन्दी के संबंध को देखते हुए एम.ए. सांस्कृतिक पर्यटन पाठ्यक्रम (नियमित पाठ्यक्रम) वर्ष 2007 से शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक सहायता मिलने पर पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया।

मद सं. 13. पी-एच.डी. के लिए बाहरी निर्देशकों (विश्वविद्यालय से बाहर के विशेषज्ञों) को बतौर सहनिर्देशक रखे जाने पर विचार :

विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बाहरी निर्देशकों (विश्वविद्यालय से बाहर के विशेषज्ञों) को बतौर सहनिर्देशक रखने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बाहरी निर्देशकों को सहनिर्देशक के रूप में रखा जाएगा, किन्तु जिन विषयों में अभी हमारे नियमित अध्यापक नहीं हैं उनमें बाहरी विशेषज्ञों को निर्देशक के रूप में रखने का भी प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

यह भी प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है कि विश्वविद्यालय में निर्देशक बनने वाले व्यक्ति का न्यूनतम 2 वर्ष का स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन का अनुभव हो, और स्तरीय प्रकाशन हो और स्वयं पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त हो।

प्रत्येक प्रोफ़ेसर अपने अधीन अधिकतम 6 विद्यार्थियों तथा रीडर 4 विद्यार्थियों और प्राध्यापक 3 विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर सकता है। यह प्रस्ताव भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या-परिषद् ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

मद सं. 14. विश्व हिन्दी साहित्य का इतिहास लेखन की परियोजना :

हिन्दी के अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा की ओर से विश्व हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिन्दी साहित्य का एक नया इतिहास प्रकाशित करने की परियोजना विद्या-परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। यह इतिहास तीन भागों में होगा पहले भाग में मुख्य धारा का इतिहास होगा, दूसरे भाग में हिन्दीतर भाषा-भाषियों का योगदान होगा, तीसरे भाग में विदेशी लेखकों का योगदान का विवरण होगा। इस परियोजना के लिए अनुमानित व्यय करीब 20,00,000/- (बीस लाख रुपए) होगा।

निवेदन है कि विद्या-परिषद् इस परियोजना की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करें।

विद्या-परिषद् ने प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में एक परामर्श समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया। इस समिति में प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय, प्रो. इन्द्रनाथ चौधुरी, श्री गोविन्द मिश्र और प्रो. एस. तंकमणि अम्मा के साथ-साथ कुछ अन्य विशेषज्ञों को नामित करने का निर्णय लेने के लिए कुलपति को अधिकृत किया।

मद सं. 15. M.Tech. भाषा प्रौद्योगिकी के विस्तृत पाठ्यक्रम का अनुमोदन :

M.Tech. पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् ने स्वीकृत किया था इसका विस्तृत पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ संलग्न है।

विस्तृत पाठ्यक्रम अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

बैठक की समाप्ति से पूर्व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं प्रख्यात हिन्दी लेखक श्री निर्मल वर्मा के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को सभी सदस्यों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

बैठक की समाप्ति सभी सदस्यों द्वारा कुलपति को धन्यवाद देने तथा कुलपति द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करने से हुई।

(प्रो. जी. गोपीनाथन)
अध्यक्ष एवं कुलपति
महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

मद सं. 2.

विद्या-परिषद् की छठी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट :

विद्या-परिषद् ने पाँचवीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई का अवलोकन कर उसे सहमति प्रदान की तथा कुछ बिन्दुओं के संदर्भ में अपने सुझाव एवं निर्णय दिए जिनका विवरण इस प्रकार है::

<table>
<tr><th>मद सं.</th><th colspan="2">विषय एवं निर्णय</th><th>की गई कार्रवाई</th></tr>
<tr><td>मद सं. 2.</td><td colspan="2">विद्या-परिषद् की चौथी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट : विद्या-परिषद् ने की गई कार्रवाई का अवलोकन कर निम्न सुझावों के साथ इसके स्वीकृति प्रदान की :</td><td rowspan="9">कार्रवाई की जा रही है।</td></tr>
<tr><td></td><td>मद सं. 6</td><td>विषय एवं निर्णय</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>भाषा-केन्द्र में शोधरत छात्रा को पी-एच.डी. उपाधि देने के संदर्भ में निर्णय : विद्या-परिषद् ने पूरे तथ्यों के आलोक में यह निर्णय लिया कि इस संदर्भ में कुलपति कुछ विशेषज्ञों की एक समिति गठित करें जो इसके वैधानिक एवं अन्य सभी पहलूओं को देखते हुए अपनी अनुशंसाएँ दे। इन अनुशंसाओं को विद्या-परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये।

की गई कार्रवाई : नियमानुसार कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं की रिपोर्ट एवं संबद्ध अन्य विवरण विचारार्थ प्रस्तुत है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>प्राप्त सुझाव के अनुपालन में सभी तथ्यों के अवलोकन के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाते हुए विद्या-परिषद् के निर्णयार्थ निम्न अनुशंसाएं की जाती हैं :
भाषा-केन्द्र के निदेशक - प्रो. वी. पी. जैन द्वारा सुश्री कविता बिसारिया का हिन्दी की अव्यय संरचना विषय में पी-एच.डी. हेतु वर्ष 2001-02 में पंजीयन किया गया था तथा उसके द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को तीन परीक्षकों के पास भेजा गया था जिनकी रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है तथा अब मौखिकी के लिए तीन परीक्षकों में से एक को चुना जाना है। यह सब कार्रवाई भाषा-केन्द्र में की गई थी और तत्कालीन निदेशक, प्रो. वी.पी. जैन का अपना निर्णय था, विश्वविद्यालय का नहीं। इसलिए उक्त तथ्य के आलोक में विद्या-परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>श्री प्रदीप वाजपेयी को The mathematical & graphical study of Hindi soundsविषय में डा. वागीश शुक्ल के निर्देशन में शोध हेतु वर्ष 2002-03 में प्रवेश दिया गया था और अपने शोध का काफी कार्य कर चुके हैं। अतः इन्हें विशेषज्ञों की समिति के सामने प्रस्तुतिकरण करने का अवसर दिया जा सकता है और शोध कार्य की गुणवत्ता के मद्देनजर स्तर के अनुरूप शोध-छात्रवृत्ति भी दी जा सकती है। इस समय रु.6000/- प्रतिमाह इनको शोध कार्य हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>श्री पी.वी जगनमोहन को हिन्दी और तमिल क्रिया संरचना विषय में डा. एन. सुन्दरम के निर्देशन में शोध हेतु वर्ष 2001-02 में प्रवेश दिया गया था। इनके भी शोध कार्य में काफी प्रगति हो चुकी है। अतः इनको भी विशेषज्ञों की समिति के सामने प्रस्तुतिकरण करने का अवसर दिया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>प्रो. वी.पी. जैन द्वारा बतौर संकायाध्यक्ष वर्ष 2004-05 में प्रवेश संबंधी प्रकाशित करवाये गये विज्ञापन के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा यह स्पष्टीकरण भी प्रकाशित करवाया गया था कि उक्त विज्ञापन के अनुसरण में जो भी विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, वे उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे और विश्वविद्यालय की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में यद्यपि एक छात्र श्री ईश्वर चंद तिवारी को दिया गया प्रवेश विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण के अनुसरण में मान्य नहीं बनता है किन्तु उसके द्वारा निर्धारित शुल्क राशि रु.4,000/- भाषा-केन्द्र में जमा करवाई गई है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><u>प्राप्त सुझाव</u> : बैठक में प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं का अवलोकन करने के बाद विद्या-परिषद् ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस मामले में एक प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाते हुए अनुशंसाओं के साथ प्रस्तुत किया जाये।</td></tr>
</table>

विद्या-परिषद् ने इस संदर्भ में निर्णय लिए :

(1) सुश्री कविता बिसारिया को विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. हेतु पंजीयन का इस आधार पर वैध मानते हुए विश्वविद्यालय में पी-एच.डी. के वर्तमान नियमों के अनुसार स्वीकृत पैनल बनाकर शोध प्रबंधकों को फिर से मूल्यांकन करने की प्रक्रिया अपनाई जाय तथा तदंतर परीक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा करने और मौखिकी हेतु अवसर दिया जाय।

(2) यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले कुछ समय से शोध कार्य कर रहे श्री प्रदीप बाजपेयी और श्री पी.वी. जगनमोहन को विशेषज्ञों की समिति के सामने प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया जाये और उन की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय इस संदर्भ में उन्हें शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की औपचारिक स्वीकृति दे तथा आवश्यक कार्रवाई करे। विद्या-परिषद् का यह भी मत था कि विद्यार्थियों के भविष्य के मद्देनजर उपरोक्त निर्णय लिए गए हैं किन्तु इसे प्रचलन न बनाया जाय।

(3) विद्या-परिषद् इस बात पर भी सहमत थी कि भाषा-केन्द्र में श्री ईश्वर चंद तिवारी को दिया गया प्रवेशअमान्य है और इस संदर्भ में किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

	5	**विश्वविद्यालय के वर्तमान चार विद्यापीठों के अतिरिक्त दो अतिरिक्त विद्यापीठ शुरू करने पर विचार :** *महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार इस विश्वविद्यालय में चार विद्यापीठ होंगे–1. भाषा विद्यापीठ, 2. साहित्य विद्यापीठ, 3. अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ और 4. संस्कृति विद्यापीठ। परंतु वर्तमान स्थितियों में हिन्दी को सूचना-प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के अध्ययन से जोड़ने के लिए 2 नए विद्यापीठों को आरंभ करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के सामने रखा जाता है। ये विद्यापीठ होंगे :* 1. *प्रबंधन विद्यापीठ (School of Management)* 2. *प्रौद्योगिकी विद्यापीठ (School of Technology)* ***विद्या-परिषद् ने अनुमति प्रदान की।*** ***की गई कार्रवाई :*** *कार्य-परिषद् से सहमति प्राप्त हो गई है। कुलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्ताव भेजा जा रहा है।* ***प्राप्त सुझाव : कुलपति द्वारा अवगत कराया गया कि शिक्षा मंत्रालय की समिति के साथ हाल ही में हुई उनकी चर्चानुसार 'प्रबंधन' और 'प्रौद्योगिकी' हिन्दी के माध्यम से पढ़ाई जाने के संबंध में मंत्रालय ने उनसे पूछा था और इस संबंध में कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजा जाना है। कुछ सदस्यों का मत था कि अगर सही परिवेश में देखें तो इसकी आवश्यकता है किन्तु अनुदित पाठ्य सामग्री न पढ़ाई जाय बल्कि यह मौलिक रूप में होनी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि हमें अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए और पूरे देश में जो प्रबंधन कार्यक्रम चल रहा है इसके लिए हिन्दी में स्रोत सामग्री तैयार करनी चाहिए।***	*कार्रवाई की जा रही है।*
	8	**विश्वविद्यालय में नियमित एवं दूर शिक्षा के अंतर्गत B.Ed. और D.Ed. शुरू करने पर विचार :** *हिन्दी माध्यम से भाषा, समाज विज्ञान एवं मानविकी विषयों के अध्यापन के लिए प्रशिक्षित लोगों की मांग को दृष्टि में रखकर और शिक्षा मंत्रालय के माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के सुझाव के अनुसार हिन्दी माध्यम से बी.एड. और डी.एड. नियमित व दूर शिक्षा के माध्यम से शुरू करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।* ***विद्या-परिषद् ने बी-एड. के प्रस्ताव को अभी स्थगित रखने का निर्णय लिया तथा अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी के शिक्षण में डी-एड. को दूर शिक्षा के माध्यम से शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में पूरा विवरण तैयार कर विद्या-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।*** ***कार्रवाई :*** *पाठ्यक्रम की मांग को देखते हुए* **B.Ed. और D.Ed.** *को दूर शिक्षा के अन्तर्गत शुरू करने का प्रस्ताव पुनः विद्या-परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।*	
सुझाव : पाठ्यक्रम तैयार करने का सुझाव दिया गया।			

	9	**विश्वविद्यालय के 4 विद्यापीठों के अतिरिक्त पाँच केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव :** *विश्वविद्यालय में पाँच केन्द्र (दूर शिक्षा केन्द्र, गांधी हिन्दी विश्व मैत्री केन्द्र, अनुवाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी अन्तरराष्ट्रीय शांति अध्ययन केन्द्र तथा भारतवंशी अध्ययन केन्द्र) शुरू करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।* ***विद्या-परिषद् ने दूर-शिक्षा केन्द्र हेतु अध्यादेश के हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप का अवलोकन कर अनुमति प्रदान की तथा शेष प्रस्तुत केन्द्रों के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति देते हुए अनुवाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र को प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के अन्तर्गत रखने का निर्णय लिया। यह भी संस्तुति दी कि इन केन्द्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवश्यक पद प्राप्त किये जाएँ। केन्द्रों के अध्यादेशों के प्रारूप संलग्न हैं।*** *अनुलग्नक :* *1. दूर शिक्षा केन्द्र हेतु अध्यादेश के हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप (पृष्ठ सं. 70-83)* *2. गांधी हिन्दी विश्व मैत्री केन्द्र (पृष्ठ सं. 84-85)* *3. अनुवाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (हिन्दी व अंग्रेजी प्रारूप) (पृष्ठ सं. 86-95)* *4. महात्मा गांधी फ्यूजी-गुरुजी अंतरराष्ट्रीय शांति अध्ययन केंद्र (हिन्दी व अंग्रेजी प्रारूप) (पृष्ठ सं. 96-102)* *5. भारतवंशी अध्ययन केन्द्र (पृष्ठ सं.103-106)* ***की गई कार्रवाई :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इन केन्द्रों के लिए आर्थिक सहायकता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।* ***प्राप्त सुझाव : कुलपति ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालय को दूर शिक्षा केन्द्र के लिए राशि रु.2 करोड़ तथा डॉ. अंबेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केन्द्र, अनुवाद प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण केन्द्र, महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी अन्तरराष्ट्रीय शांति अध्ययन केन्द्र और अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी म्यूज़ियम तथा भारतवंशी अध्ययन केन्द्र के लिए राशि 1 करोड़ का अनुदान प्रत्येक केन्द्र हेतु स्वीकृत किया गया है।***	*कार्रवाई की जा रही है।*
मद सं. 3		**अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कार्य-परिषद् के निर्णयानुसार और भी नामों को जोड़ते हुए नामिका प्रस्तुत करने पर विचार :** दूसरी कार्य-परिषद् के सुझाव के अनुसरण में और नामों को जोड़ने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् की 14 जुलाई 2005 को सम्पन्न चौथी बैठक में रखा गया था और चौथी बैठक में विद्या-परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय तथा सुझाए गए नामों की सूची को कार्य-परिषद् की 22.08.2005 को सम्पन्न 18वीं (द्वितीय) बैठक में प्रस्तुत किया गया था। जिसका अवलोकन कर कार्य-परिषद् ने इसमें से ही उपयुक्त व्यक्तियों के नाम चयन करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया तथा यह भी निर्णय लिया कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि व्याख्याता / रीडर / प्रोफेसर के पदों पर नियुक्तियों के लिए उक्त सूची में से चयनित व्यक्ति प्रोफेसर श्रेणी का अवश्य हो और वह किसी मान्य विश्वविद्यालय अथवा साहित्य जगत का अपने विषय का श्रेष्ठ एवं सुविख्यात विशेषज्ञ अथवा साहित्यकार होना चाहिए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रथम अध्यादेश को स्वीकृति मिलने के बाद कुलपति इन पर आवश्यक कार्रवाई करें। ध्यातव्य है कि इस बैठक के बाद विश्वविद्यालय की दूसरी कार्य-परिषद् का कार्य-काल 6.2.2006 को समाप्त हो गया और अगस्त 2005 से उक्त अवधि तक सदस्यों के विदेश में होने तथा स्वास्थय ठीक न होने के विविध अपरिहार्य कारणवश कोई बैठक न हो सकी।	*अनुपालित।*

	नव-गठित कार्य-परिषद् ने 21.04.2006 को सम्पन्न इसकी पहली *(कुल 19वीं)* बैठक में पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन करते हुए विषय विशेषज्ञों की नामिका में और भी नाम जोड़ने की आवश्यकता महसूस करते हुए विस्तृत सूची प्रस्तुत करने का सुझाव दिया है। तदनुसार विद्या-परिषद् द्वारा पिछली बार अनुमोदित की गई विषय विशेषज्ञों की नामिका संलग्न करते हुए विद्या-परिषद् से पुनः अनुरोध है कि वे विषय विशेषज्ञों की नामिका में अधिक-से-अधिक अनुभवी नाम सुझाये जिससे विज्ञापित शैक्षणिक पदों पर साक्षात्कार कर शीघ्र ही नियुक्ति की जा सकें।	
	सुझाव : विद्या-परिषद् का मत था कि इस विषय में पहले ही काफ़ी कार्रवाई की जा चुकी है तथा सभी पक्षों की दृष्टि से पूर्ण विचार हो चुका है और अब नामिका की तालिका में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ़ मीडिया के श्री अनूप कुमार धान का निधन होने पर उनकी जगह प्रो. सुधीश पचौरी का नाम शामिल कर लिया जाय। **तदनुसार विषय विशेषज्ञों की नामिका की संशोधित सूची संलग्न है।** ***अनुलग्नक : विषय विशेषज्ञों की नामिका*** *(पृष्ठ सं. 14 से 24 तक)*	
	सुझाव : इसपर सहमति व्यक्त की गयी।	

मद सं. 4	**विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए विभिन्न विद्यापीठों के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ नये पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार :**			*कार्रवाई की जा रही है।*
	क्र. सं.	**विद्यापीठ**	**पाठ्यक्रम**	
	1	भाषा विद्यापीठ	एम.ए. कम्प्यूटर लिंग्विस्टिक्स।	
			डिप्लोमा पाठ्यक्रम–तमिल, मराठी, गुजराती, कन्नड, तेलुगु, मलयालम, स्पेनिश, चीनी, जापानी।	
	2	साहित्य विद्यापीठ	विदेशी छात्रों के लिए बी.ए. हिन्दी भाषा, साहित्य व संस्कृति ***(नियमित एवं दूर शिक्षा)***	
	3	अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ	डिप्लोमा पाठ्यक्रम–हिन्दी निर्वचन	
	4	संस्कृति विद्यापीठ	1. एम.ए. सांस्कृतिक पर्यटन पाठ्यक्रम	
			2. ग्रामीण पर्यटन प्रबंधन (Rural Tourism Management) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम ***(दूर शिक्षा द्वारा)***	
	5	प्रबंधन विद्यापीठ	एम.बी.ए.–सूचना प्रौद्योगिकी में प्रबंधन	
			बी.बी.ए.–पाठ्यक्रम	
	6	प्रौद्योगिकी विद्यापीठ	एम.टेक. भाषा प्रौद्योगिकी, एम.टेक. कम्प्यूटर लिंग्विस्टिक्स	
			बी. टेक. भाषा प्रौद्योगिकी तथा बी. टेक कम्प्यूटर भाषा विज्ञान	
सुझाव : विद्या-परिषद् ने भाषा विद्यापीठ के तहत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की तथा इसके साथ-साथ अन्य भाषाओं जैसे असमिया, बंगला, संस्कृत और पंजाबी को दूसरे चरण में रखने तथा उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रमों के सबंध में सभी औपचारिकताएँ पूरी करके इनकी अवधारणा और पाठ्यक्रम के साथ विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।				

मद सं.5	**हिन्दी सूचना विश्व कोश परियोजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव :** विश्वविद्यालय में प्रस्तावित संदर्भ ग्रन्थमाला के अंतर्गत भाषा, साहित्य, संस्कृति, अनुवाद, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, जनसंचार, विश्व में हिन्दी शिक्षण शामिल किया जाएगा। इन विषयों पर 8 भागों में एक सूचना विश्वकोश तैयार किया जाने का प्रस्ताव है। इस पर कुल अनुमानित व्यय रुपए पचास लाख होगा। यह राशि राजभाषा विभाग, भारत सरकार तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। विद्या-परिषद् कृपया के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **विद्या-परिषद् ने इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया।**	*इस परियोजना को कार्य-परिषद् की स्वीकृति मिल गई है तदनुसार कार्य प्रारंभ हो रहा है।*

मद सं. 6	**दूरशिक्षा (निदेशक) की नियुक्ति के लिए नामिका को भेजने पर विचार :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से दसवीं पंचवर्षीय योजना में दूरशिक्षा के अन्तर्गत निदेशक का एक पद प्राप्त हुआ है जिसको देशभर के प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया जा चुका है तथा आवेदन प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन भी प्राप्त हो गए हैं। विद्या-परिषद् कृपया इस पद पर योग्य व्यक्ति के चयन हेतु समिति में कुछ विशेषज्ञों को नामित करने के संदर्भ में निर्णय ले। **विद्या-परिषद् ने निम्नांकित विशेषज्ञों को दूर शिक्षा (निदेशक) की नियुक्ति के लिए नामिका में नामित किया :** 1) **प्रो. कपिल कुमार** पूर्व निदेशक, स्कूल ऑफ साइंसेज, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नयी दिल्ली-110 068 *फोन : (011) 26492990 (नि.), 0-98103 21463 (मो.)* 2) **प्रो. स्वराज बसु** निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नयी दिल्ली-110 068 *फोन : (011) 29536668 (का.), 26496386 (नि.)* 3) **श्री जे.एम. पारेख** प्रो. एवं निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नयी दिल्ली-68 *फोन : (011) 29532175 (का.), 29532175 (नि.)* 4) **प्रो. एस.एस. हसन** कुलपति, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय, नैनीताल–263139 *फोन : (मो.) 0 - 9319 9 57283* 5) **प्रो. श्याम मेनन** शिक्षा विभाग, दिल्ली यूनिवर्सिटी,दिल्ली– 110 007 *फोन : (011) 26257030* 6) **प्रो. यशवंत जाधव** प्रो. एवं संकायाध्यक्ष - हिन्दी विभाग, बी.आर. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद। 7) **प्रो. एम.एस. हयात** निदेशक, दूर शिक्षा केन्द्र,हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय,हैदराबाद – 43 8) **डा. के. शिवदासन पिल्लै** निदेशक (सेवानिवृत्त), स्कूल ऑफ कंटीन्यूयिंग एजुकेशन,केरल यूनिवर्सिटी,केरल। 9) **डा. एस.के. विज** दिल्ली यूनिवर्सिटी,दिल्ली– 110 007 10) **डा. सुधाराव** कुलपति, मैसूर ओपन यूनिवर्सिटी, मैसूर।	*अनुपालित।*

मद सं. 3.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन हेतु विशेषज्ञता निर्धारण।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन हेतु विशेषज्ञता निर्धारण के लिए प्रारूप हिन्दी व अंग्रेजी प्रारूप अनुमोदन के लिए संलग्न है।

विद्या-परिषद् ने विज्ञापन प्रारूप का अवलोकन करके स्वीकृति प्रदान की।

अनुलग्नक : विज्ञापन प्रारूप हिन्दी तथा अंग्रेजी में (पृष्ठ सं. 16-22)

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
पोस्ट बॉक्स न. 16, पंचटीला, वर्धा- महाराष्ट्र 442001
फोन न. 07152-230902, 230905, फैक्स : 07152-230903
ई-मेल : hindiunv@del3.vsnl.net.in, वेबसाइट : www.hindivishwa.org

रोजगार सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए वेतनमान एवं वांछनीय योग्यताओं का विवरण **परिशिष्ट-1** (शैक्षणिक पद) **तथा परिशिष्ट-2** (गैर-शैक्षणिक पद) में दिया गया है।

निबंधन एवं शर्तें :

i) अभ्यर्थी पूर्ण आवेदन ***परिशिष्ट-3*** में दिए गए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार आवेदन शुल्क रु.200/- [अनुसूचित जाति/ जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए रु.100/- (प्रामाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मान्य)] का मांग-पत्र जो कि **महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा** के पक्ष में देय हो, प्रशासनिक प्रभारी, म.ग.अ.हि.वि., पो.बॉक्स-16, पंचटीला, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र) को भेजें।

ii) आवेदन के साथ ***सभी संबद्ध दस्तावेज़ों की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न की जाएँ।*** अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii) आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजना अभ्यर्थी के स्वयं के हित में होगा।

iv) एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने पर **प्रत्येक के लिए वांछित आवेदन शुल्क के साथ** भेजा जाए।

v) आवेदन मुहरबंद लिफाफे में भेजें, **लिफाफे के ऊपर पद क्रमांक एवं पदनाम का स्पष्ट उल्लेख हो।**

vi) पहले से **सेवारत अभ्यर्थी अपना आवेदन उचित माध्यम द्वारा भेज सकते हैं।** अग्रिम प्रति सीधे भेजी जा सकती है किन्तु इसके लिए एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा अग्रेषित आवेदन साक्षात्कार से पहले पहुँच जाना चाहिए।

vii) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि .... - ... -2006 है। इस तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

viii) विश्वविद्यालय सभी आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाने हेतु बाध्य नहीं है। विश्वविद्यालय को अपनी चयन प्रक्रिया के तहत चुनिंदा योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने का अधिकार होगा।

ix) विश्वविद्यालय को किसी भी पद को न भरने अथवा किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

परिशिष्ट-1

प्रथम अध्यादेश के निम्नलिखित प्रावधान शैक्षणिक पदों के लिए लागू होंगे–"आवेदक को हिन्दी पढ़ने, लिखने और हिन्दी में अध्यापन करने की दक्षता प्रमाणित करनी होगी।

क्र. सं.	विद्यापीठ / केन्द्र	पद का नाम	श्रेणी	पदों की संख्या	अनिवार्य शैक्षिणक योग्यता	वांछनीय योग्यता
1	महात्मा गांधी–फ्यूजी गुरुजी शांति अध्ययन केन्द्र	निदेशक / प्रोफेसर (16400-22400)	सामान्य	01	एम.ए. गांधियन स्टडीज़ / एम.ए. शांति अध्ययन अथवा किसी समाज वैज्ञानिक या मानविकी विषयक एम.ए. में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो और पी-एच.डी. एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार हो, 10 वर्ष के स्नातकोत्तर अध्यापन का अनुभव / विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में शोध का अनुभव एवं डॉक्टरेट स्तर पर शोध मार्गदर्शन। शांति अध्ययन / गांधियन स्टडीज़ में विशेषज्ञता हो।	शांति अध्ययन / गांधियन स्टडीज़ में उच्च स्तरीय प्रकाशन।
2	भाषा प्रौद्योगिकी, अनुवाद प्रौद्योगिकी व आई.टी. लैब	निदेशक / प्रोफेसर (16400-22400)	सामान्य	01	एम.सी.ए. या एम.टेक कम्प्यूटर विज्ञान / आई.टी. / एम.ए. लिंग्विस्टिक्स में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो और पी-एच.डी. एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार हो, 10 वर्ष के स्नातकोत्तर अध्यापन का अनुभव / विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में शोध का अनुभव एवं डॉक्टरेट स्तर पर शोध मार्गदर्शन।	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंश/ कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स/ मशीनी अनुवाद में विशेषज्ञता।
3	बाबा साहेब अम्बेडकर : दलित व जनजाति अध्ययन केन्द्र	निदेशक / प्रोफेसर (16400-22400)	सामान्य	01	एम.ए. समाजशास्त्र अथवा किसी समाज वैज्ञानिक या मानविकी विषयक एम.ए. में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो और पी-एच.डी. एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार हो, 10 वर्ष के स्नातकोत्तर अध्यापन का अनुभव / विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में शोध का अनुभव एवं डॉक्टरेट स्तर पर शोध मार्गदर्शन।	दलित और जनजाति अध्ययन में विशेषज्ञता।

4	दूर शिक्षा कार्यक्रम	क्षेत्रीय निदेशक / रीडर (12000-18300)	सामान्य	02	एम.ए. हिन्दी / एम.ए. भाषा विज्ञान में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार नेट या समतुल्य / पी-एच.डी. या डॉक्टरेट उपाधि तथा स्नातकोत्तर अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव हो।	दूर शिक्षा में कार्यानुभव।
5	दूर शिक्षा कार्यक्रम	व्याख्याता (8000-13500)	1 अनुसूचित जाति, 4 सामान्य	05	एम.ए. हिन्दी / एम.ए. भाषा विज्ञान / एम.ए. जनसंचार / एम.ए. अहिंसा और शान्ति अध्ययन / एम.ए. स्त्री अध्ययन / एम.ए. अनुवाद प्रौद्योगिकी में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार नेट / पी-एच.डी. या समतुल्य हो।	दूर शिक्षा में कार्यानुभव।
6	भाषा विद्यापीठ	प्रोफेसर (16400-22400) *(लिंग्विस्टिक्स)*	सामान्य	01	एम.ए. भाषा विज्ञान में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार हो, पी-एच.डी. या अन्य डॉक्टरेट उपाधि, 10 वर्ष के स्नातकोत्तर अध्यापन का अनुभव / विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में शोध का अनुभव एवं डॉक्टरेट स्तर पर शोध मार्गदर्शन।	अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान/ कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स/ भाषा प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता।
7	भाषा विद्यापीठ	रीडर (12000-18300) *(लिंग्विस्टिक्स)*	सामान्य	01	एम.ए. भाषा विज्ञान में 55 प्रतिशत अंक हो एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार हो, पी-एच.डी. या डॉक्टरेट उपाधि तथा स्नातकोत्तर अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव हो।	अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान/ कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स/ भाषा प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता।
8	साहित्य विद्यापीठ	प्रोफेसर (16400-22400) *(साहित्य)*	सामान्य	01	एम.ए. हिन्दी / एम.ए. तुलनात्मक साहित्य में 55 प्रतिशत अंक हो एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार हो, पी-एच.डी. या डॉक्टरेट उपाधि, 10 वर्ष के स्नातकोत्तर अध्यापन का अनुभव / विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में शोध का अनुभव एवं डॉक्टरेट स्तर पर शोध मार्गदर्शन।	तुलनात्मक साहित्य / प्राचीन अथवा आधुनिक हिन्दी साहित्य / अन्य भाषाओं में विशेषज्ञता। अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान हो।
9	साहित्य विद्यापीठ	रीडर (12000-18300) *(साहित्य)*	सामान्य	01	एम.ए. हिन्दी / एम.ए. तुलनात्मक साहित्य में 55 प्रतिशत अंक हो एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार हो, पी-एच.डी. या डॉक्टरेट उपाधि तथा स्नातकोत्तर अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव हो।	तुलनात्मक साहित्य / प्राचीन अथवा आधुनिक हिन्दी साहित्य में विशेषज्ञता। अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान हो।
10	साहित्य विद्यापीठ	व्याख्याता (8000-13500) *(साहित्य)*	सामान्य	02	एम.ए. हिन्दी / एम.ए. तुलनात्मक साहित्य में 55 प्रतिशत अंक हो एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार नेट या समतुल्य / पी-एच.डी. या समतुल्य हो।	तुलनात्मक साहित्य / प्राचीन अथवा आधुनिक हिन्दी साहित्य / अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान।
11	संस्कृति विद्यापीठ	प्रोफेसर (16400-22400) *(जनसंचार)*	सामान्य	01	एम.ए. जनसंचार / एम.ए. पत्रकारिता में 55 प्रतिशत अंक हो एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार हो, पी-एच.डी. या डॉक्टरेट उपाधि, 10 वर्ष के स्नातकोत्तर अध्यापन का अनुभव / विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में शोध का अनुभव एवं डॉक्टरेट स्तर पर शोध मार्गदर्शन।	प्रिंट माध्यम / इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विशेषज्ञता।
12	संस्कृति विद्यापीठ	प्रोफेसर (16400-22400) *(स्त्री अध्ययन)*	सामान्य	01	एम.ए. स्त्री अध्ययन / एम.ए. समाजविज्ञान में 55 प्रतिशत अंक हो एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार हो, पी-एच.डी. या डॉक्टरेट उपाधि, 10 वर्ष के स्नातकोत्तर अध्यापन का अनुभव / विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में शोध का अनुभव एवं डॉक्टरेट स्तर पर शोध मार्गदर्शन।	स्त्री अध्ययन में विशेषज्ञता।

13	संस्कृति विद्यापीठ	रीडर (12000-18300) *(स्त्री अध्ययन)*	सामान्य	01	एम.ए. स्त्री अध्ययन / एम.ए. समाजविज्ञान में 55 प्रतिशत अंक हो एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार हो, पी-एच.डी. या डॉक्टरेट उपाधि तथा स्नातकोत्तर अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव हो।	स्त्री अध्ययन में विशेषज्ञता।
14	संस्कृति विद्यापीठ	रीडर (12000-18300) *(शांति अध्ययन)*	सामान्य	01	एम.ए. गांधियन स्टडीज़ / एम.ए. शांति अध्ययन अथवा किसी समाज वैज्ञानिक या मानविकी विषयक एम.ए. में 55 प्रतिशत अंक हो एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार हो, पी-एच.डी. या डॉक्टरेट उपाधि तथा स्नातकोत्तर अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव हो।	शान्ति अध्ययन में विशेषज्ञता।
15	संस्कृति विद्यापीठ	व्याख्याता (8000-13500) *(शांति अध्ययन)*	सामान्य	01	एम.ए. गांधियन स्टडीज़ / एम.ए. अहिंसा एवं शांति अध्ययन में 55 प्रतिशत अंक हो एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार नेट या समतुल्य हो / पी-एच. डी. या समतुल्य हो।	शान्ति अध्ययन में विशेषज्ञता।
16	संस्कृति विद्यापीठ	व्याख्याता (8000-13500) *(स्त्री अध्ययन)*	सामान्य	01	एम.ए. स्त्री अध्ययन / एम.ए. समाज विज्ञान में 55 प्रतिशत अंक हो एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार नेट या समतुल्य / पी-एच.डी. या समतुल्य हो।	स्त्री अध्ययन में विशेषज्ञता।
17	भाषा विद्यापीठ	व्याख्याता (8000-13500) *(सूचना प्रौद्योगिकी)*	सामान्य	01	एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान / आई.टी. में स्नातकोत्तर उपाधि / एम.सी.ए. में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार नेट या समतुल्य / पी-एच.डी. या समतुल्य हो।	आई.टी. अनुप्रयोगों में विशेषज्ञता।
18	भाषा विद्यापीठ	व्याख्याता (8000-13500) *(स्पैनिश)*	सामान्य	01	एम.ए. स्पैनिश भाषा या उसके समतुल्य उपाधि एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार नेट या समतुल्य / पी-एच.डी. या समतुल्य हो।	
19	भाषा विद्यापीठ	व्याख्याता (8000-13500) *(चीनी)*	सामान्य	01	एम.ए. चीनी भाषा या उसके समतुल्य उपाधि एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार नेट या समतुल्य / पी-एच.डी. या समतुल्य हो।	
20	भाषा विद्यापीठ	व्याख्याता (8000-13500) *(जापानी)*	सामान्य	01	एम.ए. जापानी भाषा या उसके समतुल्य उपाधि एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार नेट या समतुल्य / पी-एच.डी. या समतुल्य हो।	

परिशिष्ट-2

क्र. सं.	विद्यापीठ / केन्द्र	पद का नाम	श्रेणी	पदों की संख्या	अनिवार्य शैक्षिणक योग्यता
21	दूर शिक्षा कार्यक्रम	उच्च श्रेणी लिपिक (4000-100-6000) *(लिखित प्रतियोगिता तथा साक्षात्कार द्वारा)*	1 अनुसूचित जाति, 1 सामान्य	02	स्नातक या उसके समतुल्य, निम्न श्रेणी लिपिक / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड-1 में राज्य / केन्द्रीय / विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। **उम्र : 35 वर्ष तक।**
22	दूर शिक्षा कार्यक्रम	सहायक (5000-150-8000) *(लिखित प्रतियोगिता तथा साक्षात्कार द्वारा)*	1 अनुसूचित जनजाति, 1 सामान्य	02	स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य, उच्च श्रेणी लिपिक / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड-2 में राज्य / केन्द्रीय / विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। **उम्र : 35 वर्ष तक।**
23	दूर शिक्षा कार्यक्रम	निम्न श्रेणी लिपिक (3050-75-3950-80-4590) *(लिखित प्रतियोगिता तथा साक्षात्कार द्वारा)*	सामान्य	01	एस.एस.सी. (SSC) या उसके समतुल्य, टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट, कम्प्यूटर का ज्ञान। **उम्र : 35 वर्ष तक।**
24	दूर शिक्षा कार्यक्रम	तकनीकी सहायक (4500-7000)	1 अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 विकलांग, 3 सामान्य	05	स्नातक उपाधि, उच्च श्रेणी लिपिक / डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड-2 में राज्य / केन्द्रीय / विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। **उम्र : 35 वर्ष तक।**

25	जनसंचार स्टूडियो लैब	प्रोग्रामर (8000-13500)	सामान्य	01	एम.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस / एम.सी.ए. एवं यू.जी.सी. प्रतिमानकों के अनुसार नेट या समतुल्य / पी-एच.डी. या समतुल्य हो। उम्र : 40 वर्ष तक।
26	अभियांत्रिकी इकाई	कनिष्ठ अभियंता (5000-8000)	सामान्य	01	सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि, सरकार या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ठेकेदार के साथ सिविल कार्यों के निरीक्षण का 5 वर्ष का अनुभव हो। उम्र : 35 वर्ष तक।

(प्रशासनिक प्रभारी)

परिशिष्ट-3

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

नियुक्ति के लिए आवेदन प्रपत्र

1. विज्ञापन संदर्भ/संख्या एवं तिथि :
2. पद का नाम (क्रम सं. विज्ञापन के अनुसार) :
3. माँग पत्र का विवरण (संख्या, जारी तिथि तथा राशि) :
4. अभ्यर्थी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
5. पिता का नाम :
6. जन्म तिथि तथा जन्म स्थान :
7. क्या आप SC/ST/OBC/PH से हैं :
8. निवास स्थान राज्य :
9. पत्राचार का पूरा पता (फोन सं./फैक्स सं.) :
10. अकादमिक ब्यौरा निम्न तालिकानुसार क्रमशः हाई स्कूल परीक्षा से :
(सत्यापित छायाप्रति एस.एस.सी. प्रमाणपत्र, डिग्री, अंकतालिका, जाति प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

क्र.सं.	परीक्षा	श्रेणी एवं अंकों का प्रतिशत	विषय(यें)	वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय	विशेष योग्यता, यदि कोई हो

11. तकनीकी शैक्षणिक योग्यताएँ शिक्षा (यदि कोई हो तो) :
12. कार्यानुभव, पद विवरण सहित निम्न तालिकानुसार : *(अनुभव प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)*

क्र.सं.	कार्यरत पद	कर्मी	अंतिम वेतन वेतनमान सहित	कार्य की प्रकृति	अवधि तिथि के साथ से	तक

13. दो निर्देशियों के नाम तथा पता *(जिसमें से एक वर्तमान नियोक्ता हो)*:
(i) (ii)
14. आवेदन के साथ संलग्नकों का विवरण *(संलग्नकों की सूची लगाएँ)*।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार दी गयी सभी जानकारियाँ पूरी तरह सही है। मैं ऐसी किन्हीं परिस्थितियों से पूरी तरह अनभिज्ञ हूँ जिनसे यह साबित हो सके कि मेरी योग्यता महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक :
स्थान :

अग्रेषित करने वाले सक्षम अधिकारी की टिप्पणी :

नाम :
हस्ताक्षर :
महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

पदनाम (मुहर सहित)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by an Act of Parliament)

Post Box No. 16, Panchteela, Wardha-442 001 (Maharashtra)
Ph.: 07152-230902, 230905, Fax: 07152-230903
E-mail:.hindiunv@del3.vsnl.net.in, Website: www.hindivishwa.org

EMPLOYMENT NOTICE

Applications are invited for filling up the following Teaching and Non-teaching posts. Names of post, Pay-Scales and Qualifications are shown vide ***Annexure–I*** (Teaching Posts) & ***Annexure–II*** (Non-teaching Posts).

TERMS AND CONDITIONS :

i) Complete application in prescribed format appearing at ***Annexure–III*** along with application fee of Rs.200/- [Rs.100/- for SC/ST candidates (on production of documentary proof)] in the form of ***Bank draft drawn in favour of*** **Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, payable at Wardha** may be submitted to the Administrative Incharge, MGAHV, P.B. 16, Panchteela, Wardha – 442 001 (Maharashtra).

ii) Applications should be ***supported by relevant attested documents***. Incomplete applications will not be considered.

iii) It is in the interest of the candidates to send the application through registered / Speed-Post.

iv) Separate application with desired fee should be submitted for each post.

v) Application should be submitted in a sealed envelope indicating the name and Sl.No. of the post applied for on the top of the envelope.

vi) Candidates already in service should submit their applications through proper channel. While an advance copy may be sent directly, a No Objection Certificate (NOC) or duly forwarded application should reach before the time of interview.

vii) Last date of submission of application is .....- ..... - 2006. No application will be entertained after the due date.

viii) **The University is not bound to call all eligible candidates for interview. The University reserves the right to institute its own screening procedure for short-listing the candidates.**

ix) The University reserves the right not to fill the post(s) and to reject any application without assigning any reason.

Annexure–I

The following provision of the First Ordinance will be applicable in the case of all Teaching posts– "Applicant should be able to clearly demonstrate his/her knowledge of Hindi reading writing and teaching".

Sl. No.	School / Centre	Name of Post	Category	No. of Post	Essential Qualification	Desirable Qualification
1	Mahatma Gandhi – Fujii Guruji Centre for Peace Study	Director / Professor (16400-22400)	Open	01	M.A. Gandhian Studies / M.A. Peace Studies or M.A. in any subject in Social Sciences or Humanities with 55% and Ph.D. and as per UGC norms, 10 years of experience in Post Graduate Teaching / Research experience in University & National level institutions including guidance of Research at doctoral level. Specialisation in Peace Studies / Gandhian Studies.	High standard publication in Peace Studies / Gandhian Studies.
2	Language Technology, Translation Technology & IT Lab	Director / Professor (16400-22400)	Open	01	M.C.A. or M.Tech. Computer Science / IT / M.A. Linguistics with 55% marks and Ph.D. and as per UGC norms, 10 years of experience in Post Graduate Teaching / Research experience in University & National level institutions including guidance of Research at doctoral level.	Specialization in Artificial Intelligence / Computational Linguistics / Machine Translation.
3	Babasaheb Ambedkar : Dalit & Tribal Studies Centre	Director / Professor (16400-22400)	Open	01	M.A. Sociology or M.A. in any subject in Social Sciences or Humanities with 55% marks and Ph.D. and as per UGC norms, 10 years of experience in Post Graduate Teaching / Research experience in University & National level institutions including guidance of Research at doctoral level.	Specialization in Dalit and Tribal Studies.
4	Distance Education Programme	Regional Director / Reader (12000-18300)	Open	02	M.A. Hindi / M.A. Linguistics with 55% marks and as per UGC norms and NET or equivalent / Ph.D. or Doctoral Degree and minimum 5 years of Post Graduate teaching experience.	Working experience in Distance Education.
5	Distance Education Programme	Lecturer (8000-13500)	1 SC & 4 Open	05	M.A. Hindi / M.A. Linguistics / M.A. Mass Media / M.A. Ahimsa & Peace Studies / M.A. Women Studies / M.A. Translation Technology with 55% marks and as per UGC norms and NET /Ph.D. or equivalent.	Working experience in Distance Education.

6	School of Language	Professor (16400-22400) *(Linguistics)*	Open	01	M.A. Linguistics with 55% marks and as per UGC norms and Ph.D. or Doctoral Degree, 10 years of experience in Post Graduate Teaching / Research experience in University & National level institutions including guidance of Research at doctoral level.	Specialization in Applied Linguistics/ Computational Linguistics/ Language Technology.
7	School of Language	Reader (12000-18300) *(Linguistics)*	Open	01	M.A. Linguistics with 55% marks and as per UGC norms and Ph.D. or Doctoral Degree and minimum 5 years of Post Graduate teaching experience.	Specialization in Applied Linguistics/ Computational Linguistics/ Language Technology.
8	School of Literature	Professor (16400-22400) *(Literature)*	Open	01	M.A. Hindi / M.A. Comparative Literature with 55% marks and as per UGC norms Ph.D. or Doctoral Degree, 10 years of experience in Post Graduate Teaching / Research experience in University & National level institutions including guidance of Research at doctoral level.	Specialization in Comparative Literature / Ancient / Modern Hindi Literature. Knowledge of other Indian Languages.
9	School of Literature	Reader (12000-18300) *(Literature)*	Open	01	M.A. Hindi / M.A. Hindi Comparative Literature with 55% marks and as per UGC norms and Ph.D. or Doctoral Degree and minimum 5 years of Post Graduate teaching experience.	Specialization in Comparative Literature / Ancient / Modern Hindi Literature. Knowledge of other Indian Languages.
10	School of Literature	Lecturer (8000-13500) *(Literature)*	Open	02	M.A. Hindi / M.A. Hindi Comparative Literature with 55% marks and as per UGC norms and NET or equivalent / Ph.D. or equivalent	Specialization in Comparative Literature / Ancient / Modern Hindi Literature / Knowledge of other Indian Languages.
	School of Language	Professor (16400-22400)	Open	01	M.A. Linguistics with 55% marks and as per UGC norms and Ph.D. or Doctoral Degree, 10 years of experience in Post Graduate Teaching /	
11	School of Culture	Professor (16400-22400) *(Mass Media)*	Open	01	M.A. Mass Communication / M.A. Journalism with 55% marks and as per UGC norms and Ph.D. or Doctoral Degree, 10 years of experience in Post Graduate Teaching / Research experience in University & National level institutions including guidance of Research at doctoral level.	Specialisation in Print Media / Electronic Media.
12	School of Culture	Professor (16400-22400) *(Women Studies)*	Open	01	M.A. Women Studies / M.A. Sociology with 55% marks and as per UGC norms and Ph.D. or Doctoral Degree, 10 years of experience in Post Graduate Teaching / Research experience in University & National level institutions including guidance of Research at doctoral level.	Specialisation in Women Studies.
13	School of Culture	Reader (12000-18300) *(Women Studies)*	Open	01	M.A. Women Studies / M.A. Sociology with 55% marks and as per UGC norms and NET or equivalent / Ph.D. or Doctoral Degree and minimum 5 years Post Graduate teaching experience.	Specialisation in Women Studies.
14	School of Culture	Reader (12000-18300) *(Peace Studies)*	Open	01	M.A. Gandhian Studies / M.A. Ahimsa and Peace Studies or M.A. in any subject in Social Science or M.A. Humanities with 55% marks and as per UGC norms and NET or equivalent / Ph.D. or Doctoral Degree and minimum 5 years of Post Graduate teaching experience.	Specialisation in Peace Studies.
15	School of Culture	Lecturer (8000-13500) (Peace Studies)	Open	01	M.A. Gandhian Studies / M.A. Ahimsa and Peace Studies with 55% marks and as per UGC norms and NET or equivalent / Ph.D. or equivalent.	Specialisation in Peace Studies.
16	School of Culture	Lecturer (8000-13500) *(Women Studies)*	Open	01	M.A. Women Studies / M.A. Sociology with 55% marks and as per UGC norms and NET or equivalent / Ph.D. or equivalent.	Specialisation in Women Studies.
17	School of Language	Lecturer (8000-13500) *(Information Technology)*	Open	01	M.Sc. Computer Science / Master Degree in I.T. / M.C.A. with 55% marks and as per UGC norms and NET or equivalent / Ph.D. or equivalent.	Specialisation in Applications of I.T.
18	School of Language	Lecturer (8000-13500) *(Spanish)*	Open	01	M.A. in Spanish or any other equivalent degree and as per UGC norms and NET or equivalent / Ph.D. or equivalent.	
19	School of Language	Lecturer (8000-13500) *(Chinese)*	Open	01	M.A. in Chinese or any other equivalent degree and as per UGC norms and NET or equivalent / Ph.D. or equivalent.	
20	School of Language	Lecturer (8000-13500) *(Japanese)*	Open	01	M.A. in Japanese or any other equivalent degree and as per UGC norms and NET or equivalent / Ph.D. or equivalent.	

Annexure–II

Sl. No	Name of School / Centre	Name of Post	Category	No. of Post	Essential Qualification
21	Distant Education Programme	UDC (4000-100-6000) *(By Competitive Written Test & Interview)*	1 SC, 1 Open	02	A graduate or its equivalent with at least 3 years experience as LDC / Data Entry Operator Grade-I in State/Central / University. Age : Not more than 35 years.
22	Distant Education Programme	Assistant (5000-150-8000) *(By Competitive Written Test & Interview)*	1 ST, 1 Open	02	A Bachelor's Degree, Experience of not less than 3 years as UDC / Data Entry Operator Grade-II in State/Central/ University. Age : Not more than 35 years.
23	Distant Education Programme	LDC (3050-75-3950-80-4590) *(By Competitive Written Test & Interview)*	Open	01	S.S.C. or its equivalent and typing speed of 30 wpm, Knowledge of Computer. Age : Not more than 35 years.
24	Distant Education Programme	Technical Assistant (4500-7000)	3 Open, 1 OBC, 1 PH	05	A Bachelor's Degree, Experience of not less than 3 years as UDC/Data Entry Operator Grade-II in State/Central/University. Age : Not more than 35 years.
25	Studio Lab for Mass Media	Programmer (8000-13500)	Open	01	M.Sc. Computer Science / M.C.A. and as per UGC norms and NET / Ph.D. or equivalent. Age : Not more than 40 years.
26	Engineering Unit	Junior Engineer (5000-8000)	Open	01	A degree in Civil Engineering with 2 years experience of supervising Civil works in any Government / Government approved Contractor. Age : Not more than 35 years.

(ADMINISTRATIVE INCHARGE)

ANNEXURE – III

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha
(A Central University established by an Act of Parliament)

(Application Form for Employment)

1. Advertisement reference / No. & Date :
2. Name of the post (*with Post Sl. No. as in the Advt.*):
3. Particulars of Demand Draft (*No., Date and Amount*):
4. Name of the applicant (in block letters):
5. Father's Name:
6. Date of birth and place of birth:
7. Whether belongs to SC/ST/OBC/PH:
8. State of domicile:
9. Address for correspondence (with Phone No. / Fax No.)
10. Academic record beginning with High School Examination as per the table below:
(Attested Xerox copies of SSC Certificate, Degree, Marksheets, Caste Certificates should be attached with the application)

Sl. No.	Exam. Passed	Division &% marks	Subject(s)	Year	Board/ University	Distinction Achieved, if any

Technical qualifications; if any:

12. Work Experience, with particulars of posts held as per the table below:
(Enclose attested copy of Experience Certificate(s))

Sl. No.	Post Held	Employer	Last Basic Pay Drawn with pay scale	Nature of Work	Period with dates From: To:

13. Names and addresses of two referees (one may be the present employer):
(i) (ii)
14. Details of enclosures sent with the application *(List of enclosures may be enclosed)*:

CERTIFICATE

I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of any circumstances which may impair my fitness for employment in the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha.

Dated: _____

Place: _____ **Signature of the Candidate**

Remarks of the Forwarding authority.

Name: _____

Signature: _____ **Designation (with seal)**

मद सं. 4.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त प्रौढ़, सतत शिक्षा और विस्तार कार्यक्रम के प्रस्ताव पर विचार।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2006-07 में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रु.14,25,000/- का अनुदान मिला है। इस कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी हमें ऐसे कार्यक्रम मिल सकते हैं। विद्या-परिषद् से निवेदन है कि इसको शुरू करने की औपचारिक स्वीकृति तथा प्रौढ़, सतत शिक्षा और विस्तार कार्यक्रम विभाग शुरू करने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करें। इसके साथ यह भी निवेदन हे कि दूर शिक्षा, प्रौढ़ सतत शिक्षा और विस्तार कार्यक्रम को विश्वविद्यालय में सुनियोजित ढंग से आयोजित करने के लिए एक शिक्षण विद्यापीठ शुरू करने की अनुमति प्रदान करें।

अनुलग्नक : 1) *प्रौढ़, सतत शिक्षा, विस्तार व सुदूर क्षेत्र विभाग हेतु प्रस्ताव (पृष्ठ सं. 29-34)*
2) *विश्वविद्यालय के इस प्रस्ताव के संदर्भ में यू.जी.सी. का स्वीकृति पत्र (पृष्ठ सं. 35-36)*

विद्या-परिषद् ने इसे अनुमोदित किया। बैठक में लिए गए निर्णयानुसार :

1) **प्रौढ़, सतत शिक्षा और विस्तार कार्यक्रम विभाग विश्वविद्यालय में प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई।**

2) **दूर शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा विस्तार व दूर क्षेत्र विभाग के कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से आयोजित करने के लिए शिक्षण विद्यापीठ प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। जबतक यह औपचारिक रूप से नहीं बनता तबतक यह कार्यक्रम संस्कृति विद्यापीठ द्वारा संचालित किया जाएगा।**

अनुलग्नक : *प्रौढ़, सतत शिक्षा, विस्तार व सुदूर क्षेत्र विभाग हेतु प्रस्ताव (पृष्ठ सं. 24-26)*

प्रौढ़, सतत शिक्षा, विस्तार एवं सुदूर क्षेत्र

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के लिए गठित शिक्षा-परिषद् की दिनांक 20 जुलाई 2006 को दिल्ली में होने वाली बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित Department of Adult, Continuing Education, Extension & Field Outreach (प्रौढ़, सतत शिक्षा, विस्तार एवं सुदूर क्षेत्र विभाग) कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्र के तहत आरंभ करने वाले पाठ्यक्रम की अनुमोदनार्थ प्रस्तुति।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली ने अपने दिनांक 21.03.2006 के पत्राचार संख्या एफ.5-126/2002 (एन.एफ.ई-I) में महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा को दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 'प्रौढ़, सतत शिक्षा, विस्तार एवं सुदूर क्षेत्र' विभाग के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति प्रदान की है।

तदनुसार विश्वविद्यालय को मार्च 1007 तक अनुमोदित कार्यक्रम आरंभ करने हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, यह विश्वविद्यालय तात्कालिक रूप में फिलहाल एक त्रैमासिक अल्पकालिक निम्नलिखित पाठ्यक्रम दिसम्बर 2006 से आरंभ करना चाहता है-

पाठ्यक्रम का विवरण एवं स्वरूप यहाँ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है-

1. **पाठ्यक्रम शीर्षक :** **"जनसंचार एवं संम्प्रेषणी हिन्दी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम"**

2. **अवधि** : एक वर्ष

3. **उपयोगिता** : महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य हिन्दी के माध्यम से विभिन्न विषय क्षेत्रों की शिक्षा प्रदान करना भी है। आज हिन्दी को रोजगारोन्मुख बनाने की नितांत आवश्यकता है। इस प्रकार के अल्पावधि के शिक्षण इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में हिन्दी भाषा-कौशलों को विकसित किया जाएगा।

4. **पाठ्यक्रम की रूपरेखा** पाठ्यक्रम की रूपरेखा सैद्धान्तिक तथा अनुप्रयोगात्मक पक्षों पर आधारित है। इनमें निम्नलिखित शैक्षणिक मुद्दों को ध्यान में रखकर शिक्षण सम्पन्न होगा-

4.1 कक्षा-स्वरूप

4.1.1	कक्षाएँ	:	सप्ताह में पाँच दिन प्रत्येक दिन दो घंटे
4.1.2	समय	:	सायंकाल

4.2 पाठ्यक्रम स्वरूप

4.1.1 **<u>हिन्दी भाषा स्वरूप : परिचय</u>**

लिपिज्ञान, उच्चारण, शब्दनिर्मिति/परिचय, पदबंध, वाक्य विन्यास/अर्थ, शैली

व्यावहारिक अभ्यास : मौखिक, वाचन, लेख/निबंध लेखन आदि

4.1.2 **सम्प्रेषण**

अर्थ-स्वरूप, सम्प्रेषण और भाषा, हिन्दी में संप्रेषण के आधार बिन्दु व उनका परिचय

व्यावहारिक अभ्यास : वार्तालाप- साक्षात्कार

4.1.3 **मुद्रित जनमाध्यम भाषा और हिन्दी**

पत्रकारिता-हिन्दी-प्रयुक्ति स्वरूप, हिन्दी/हिन्दीतर क्षेत्रों के नमूनों के आधार पर।

व्यावहारिक अभ्यास : समाचार-फीचर, समीक्षा, लेखन, साक्षात्कार

4.1.4 **श्रव्य माध्यम : भाषा और हिन्दी**

उच्चारण, अनुतान, प्रस्तुति, प्रस्तावना, वार्ता, साक्षात्कार

व्यावहारिक अभ्यास : रिकार्डिंग करवा कर

4.1.5 **श्रव्य-दृश्य (टेलीविजन/सिनेमा)**

भाषा तथा दृश्य भाषा

श्रव्य-दृश्य माध्यम तथा हिन्दी का मौखिक एवं लिखित स्वरूप

व्यावहारिक अभ्यास : दृश्य-श्रव्य सामग्री नमूनों के आधार पर प्रस्तुति, साक्षात्कार, वार्ता आदि। प्रयुक्त हिन्दी लेखन-मौखिकी तथा लघु श्रव्य-दृश्य प्रस्तुति।

पाठ्यक्रम में अर्जित ज्ञान/कौशल का अनुप्रयोग

आज, मार्केटिंग एवं जनसंचार क्षेत्र में भाषा कौशल की आवश्यकता बनी हुई है। इस पाठ्यक्रम को करने के उपरान्त शिक्षार्थी किसी मार्केटिंग, उत्पादन की बिक्रीय आदि के लिए सेल्समेन/मार्केटिंग सहायक के रूप में लिया जा सकता है। साथ ही अखबार, पत्रिकाओं, निजी रेडियो, एल्बमों, दूरदर्शन, सिनेमा जगत में समीक्षक, प्रस्तोता, साक्षातकर्ता आदि के रूप में भी जा सकता है।

शिक्षण-अनुदेश/माध्यम :

हिन्दी + अंग्रेजी, मौखिक लिखित श्रव्य, श्रव्य-दृश्य माध्यमों द्वारा।

परीक्षा :

प्रथम छमाही :

(1) दो पेपर लिखित

(2) मौखिकी

द्वितीय छमाही :

(1) तीन पेपर लिखित

(2) मौखिकी

परीक्षा-परिणाम श्रेणियाँ:

(1) उत्तीर्ण

(2) पाठ्यक्रम उपस्थिति प्रमाण-पत्र

शुल्क/फीस

(1)	आवेदन पत्र	-	50.00
(2)	शिक्षण शुल्क	-	1000.00
(3)	परीक्षा शुल्क	-	150.00
	कुल शुल्क		1200.00

प्रशासनिक व्यवस्था

प्रस्तावित केन्द्र के लिए नियमित निदेशक की नियुक्ति की जा रही है तब तक डॉ. किशोर वासवानी (भारत सरकार,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग (भाषाओं) के अधीन के कार्यालयों से निदेशक, उपनिदेशक पदों से सेवानिवृत्त एवं संप्रति महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा में अतिथि अध्यापक एवं संयोजक (एम.ए. जनसंचार माध्यम एवं सम्प्रेषण) के रूप में कार्यरत), को इस केन्द्र का अतिरिक्त कार्यभार देकर कार्यकारी निदेशक के रूप में रखा गया है। इनके साथ समेयकित वेतन पर तदर्थ रूप में एक सहायक तथा दो परियोजना शोध सहायकों की नियुक्ति भी की जा रही है।

मद सं. 5 :

पी-एच.डी. के लिए बाह्य निर्देशकों का चुनाव।

विद्या-परिषद् में लिए गए निर्णय के अनुसरण में बाह्य-निदेर्शकों को सहर्निदेशक के रूप में रखा जाए। जिन विषयों में अभी हमारे नियमित अध्यापक नहीं हैं उनमें बाहरी विशेषज्ञों को निर्देशक के रूप में रखने के लिए विद्या-परिषद् ने अनुमोदित किया। इसी के अनुसरण में प्रत्येक विषय में बाह्य-निर्देशक के रूप में विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ नामिका संलग्न है।

विद्या-परिषद् ने नामों की सूची के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 'गाइड' बनने की अर्हता रखने वाले विद्वानों को कुलपति द्वारा नियुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया।

मद सं. 6 :

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

विश्वविद्यालय के संस्कृति विद्यापीठ में नाटक एवं रंगमंच, भारतीय संगीत व नृत्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है अतः इस संदर्भ में उचित कार्रवाई की जानी है जिसके लिए विद्या-परिषद् द्वारा 3 सदस्यों की एक उपसमिति गठित की गई है जिसमें सदस्य हैं :

1) प्रो. राम गोपाल बजाज
2) प्रो. गंगा प्रसाद विमल
3) प्रो. यू.एन. सिंह

उपर्युक्त समिति द्वारा इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाकर शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

बैठक की समाप्ति सभी सदस्यों द्वारा कुलपति को धन्यवाद देने तथा कुलपति द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करने से हुई।

जी गोपीनाथन

(प्रो. जी. गोपीनाथन)
अध्यक्ष एवं कुलपति
महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय
हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा